01/07/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस पत्रावली दिनांक 15/7/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

15/7/24

पत्रावली पेश हुई। वादीगण द्वारा [illegible] स्थगन/P.O. सा० [illegible] होने से जनरक्षा [illegible] आदेश की पालना में [illegible] 12/8/24 को पेश हो।

12/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगवाई गई। फिर भी उपस्थित नहीं। अन्तिम बार शाम 5:00 P.M. पर आवाज लगवाई गई। परन्तु हाजिर नहीं। अतः प्रकरण वादीगण वकील व वादीगण की कदम-दफरी, कदम-पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner